महत्वपूर्ण एवं खास

क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन सॉफ्टबॉल और वॉलीबॉल का निशुल्क प्रशिक्षण

सारंगढ़ में 21 दिवसीय प्रशिक्षण 20 मई से प्रारंभ

सारंगढ़-बिलाईगढ़। खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देश पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के इच्छुक बच्चों, खिलाड़ियों के लिए ग्रीष्मकालीन निःशुल्क खेल प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। यह 21 दिवसीय प्रशिक्षण खेलभांठा सारंगढ़ में 20 मई से 10 जून तक किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में बैडमिंटन, फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, वालीबॉल, क्रिकेट खेल का प्रशिक्षण खेल विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। इस निःशुल्क प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए खेल प्रभारी अधिकारी कौशल ठेठवार को 9977115799, खेल प्रशिक्षक राजाराम उरांव 8889110879 और मोहन कैवर्त को 9907911443 से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

आचार संहिता हटने के बाद शुरू होगी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई

कोरबा (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ जिले में कई प्रकार के कार्यों को बंद कर दिया गया। इस कड़ी में प्रशासन द्वारा गठित विशेष कार्यबल के द्वारा सीमा क्षेत्र में स्थापित किये गए चेक प्वाइंट पर आने-जाने वाले वाहनों की जांच जरूर की गई। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई थमी रही। चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद नियम तोडने वाले वाहनों पर शिकंजा कसने का काम प्रारंभ होगा। लंबे समय से शहर की यातायात व्यवस्था को छोड़ अन्य इलाके में ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आ रही है। इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। वाहनों में ओवर लोडिंग के साथ-साथ भार वाहकों में यात्रियों को लाने-ले जाने का काम जोर-शोर से चल रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की सडकों और हाइवे पर अबाध गति से वाहनों का दौडना बताता है कि चालकों को किसी का डर-भय नहीं रह गया है। वजह यह भी है कि जब किसी प्रकार की चालान जैसी कार्रवाई ही नहीं होगी और थाने से लेकर कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तो चालक डरेंगे क्यों।

जिम में एक्सरसाईज कर रहे 17 साल के नाबालिग की मौत

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के भनपुरी में जिम के एक्सरसाईज कर रहे एक 17 साल के नाबालिग लडक़े की मौत हो गई। मामले में खमतराई थाना पुलिस ने मर्ग कायम पर जांच में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर के भनपुरी स्थित स्पेज जिम में बुधवार को एक्सरसाइज करते समय 17 साल के नाबालिग सत्यम राहांगडाले (17)की संदिग्ध मौत हो गई। सुबह वह रोजाना की तरह ट्रेडमिल में दौड़ रहा था। तभी वह अचानक बेहोश होकर गिर गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में खमतराई पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खमतराई पुलिस के अनुसार सत्यम राहांगडाले भनपुरी के धनलक्ष्मी नगर का रहने वाला है। फिलहाल, मौत के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी है। पीएम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह का पता चल सकेगा।

करंट की चपेट में आने से एक की मौत, एक घायल

चिखली (आरएनएस)। दिनांक 15 मई के 1:00 बजे करीबन जागेश्वर साहू पिता चिंताराम साहू उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड न.06 चिखली प्रेस के पीछे जो सिंघानिया फार्म चिखली में कंसट्रक्शन साइट में काम करते हुए करंट के चपेट में आने से संजीवनी अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक को बचाते हुए महिला कौशल्या वर्मा पति दुर्गा वर्मा निवासी शांति नगर चिखली भी घायल हो गई जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही जारी है।

यातायात पुलिस द्वारा किए गए जन जागरूकता कार्यक्रम एवं सड़क सुरक्षा उपायों से सड़क दुर्घटनाओं में आई कमी

धमतरी-रायपुर | आरएनएस

पुलिस अधीक्षक आंजनेय वाष्णेय के दिशा निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणिशंकर चन्द्रा के द्वारा सडक़ सुरक्षा को बढ़वा देने दुर्घटनाओं में कमी लाने सुगम यातायात व्यवस्था बनाने यातायात पुलिस के द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप विगत वर्ष घटित चार माह की तुलना में इस वर्ष घटित सडक़ दुर्घटना के प्रकरणों में 7.94 प्रतिशत कमी आई है।

जन जागरूकता कार्यक्रम: स्कूल/कालेज छात्र-छात्राओं एनसीसी, स्काउड गाईड, कैडेट, प्राईवेट संस्थानों में यातायात जन जाकरूकता के तहत 49 स्कूल, कालेजों संस्थानों में पहुंचकर यातायात पाठशाला का आयोजन कर 7226 छात्र-छात्राए, आमजनों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। जन जागरूकता रैली, हेलमेट रैली, नुक्कड़ नाटक, यातायात रथ के माध्यम से हाट बाजार, चौक-चौराहों, आम रास्ता, गांवों तक पहुंचकर 22550 लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। स्कूलों में चित्रकला, निबंध, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कर स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की प्रति जागरूक किया गया एवं यातायात नियमों का पालन करने वाले 500 से अधिक वाहन चालको को फूल, चाकलेट देकर सम्मानित कर अन्य वाहन चालको को यातायात नियमों का

पालन करने प्रोत्साहित किया गया।

ई रिक्शा,आटों में यातायात नियमों से संबंधित बैनर, पोस्टर लगाकर यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार कर आमजनों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थय / नेत्र शिविर को आयोजन कर 339 वाहन चालको का सस्थय एवं नेत्र परीक्षण किया गया, साथ ही ड्रायविंग लायसेंस, ट्राफिक कार्ड बनाने का कैम्प लगाकर 700 लोगो का ड्रायविंग लायसेंस, ट्राफिक कार्ड बनाया गया।

सडक़ दुर्घटना को रोकने हेतु किये गये सुरक्षात्मक उपाय:- सडक़ दुर्घटना रोकने के उपाय के लिए सायकल चालकों के सायकल में रेडियम रिफलेक्टर टेप लगाया गया, मुख्य मार्गों में वाहनों के गति नियंत्रण हेतु स्टापर का जिग-जैग बनाकर रेडियम टेप लगाने के साथ ही प्रमुख स्थानों पर गति नियंत्रण हेतु गतिसीमा बोर्ड लगाया गया, शहर के डिवाईडर में लगे विद्युत पोल में रेडियम टेप एवं डिवाईडर के गैप में हैजार्ड मार्कर बोर्ड लगाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में बेहतर दृश्यता के लिए रोड स्टर्ड लगाया गया, मार्ग में अवारा मवेशियों के घुमने व बैठे रहने से होने वाले दुर्घटना की रोकथाम के लिए थाना पेट्रोलिंग हाईवे पेट्रोलिंग एवं यातायात पेट्रोलिंग में तैनात कर्मचारियों के द्वारा मवेशियों को मार्ग से हटाकर काजी हाउस भिजवाया जा रहा है, नगर निगम अतिक्रमण दस्ता से समन्वय कर शहर में अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों पर कार्यवाही की जा रही है। इकाई में गंभीर दुर्घटना घटित होने पर तत्काल मौके में पहुंचकर संयुक्त निरीक्षण करते हुए दुर्घटना के कारणों का पता कर दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सडक़ सुरक्षा निर्माण एजेंसी को पत्राचार कर आवश्यक सडक़ सुरक्षा उपाय की जा रही है।

इसी तरह विगत चार माह में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2449 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर 868300/- रूपये परिसमन शुल्क जमा की गई, साथ ही 492 वाहन चालकों के विरूद्ध इस्तगाशा तैयार कर प्रकरण माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 494000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसीतरह यातायात नियमों का अवमानना करने वाले 24 वाहन चालकों के ड्रायविंग लायसेंस निलंबन हेतु प्रतिवेदन जिला परिवहन कार्यालय को प्रेषित किया गया है। यातायात पुलिस आमजनो से अपील करती है कि यातायात नियमो का पालन कर यातायात पुलिस का सहयोग करें।

ग्राम भदरीपाली में अवैध शराब बनाने की सूचना पर खरसिया पुलिस की रेड, मौके पर 02 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 20 लीटर महुआ शराब

- खरसिया में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर पुलिस कर रही लगातार कार्रवाई
- शराब बिक्री रकम और शराब बनाने के बर्तन जब्त

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर सामाजिक अपराध अवैध शराब, जुआ-सट्टा पर अंकुश लगाने जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। खरसिया क्षेत्र में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खरसिया के सतत पर्यवेक्षण

पर प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में खरसिया पुलिस टीम पिछले दो दिनों से लगातार कार्रवाई कर रही है। कल आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में थाना खरसिया और चौकी खरसिया की टीम द्वारा खरसिया टाउन के शराब भट्ठी के पास संचालित 06 अवैध चकना दुकान के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 36(च) की कार्रवाई की गई। वहीं आम रास्ते में शराब सेवन कर रहे 14 नशाखोरों पर खरसिया पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा 36(च) (1) के तहत कार्यवाही किया गया है।

इसी कड़ी में आज सुबह भोर में प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्रीमाल को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम भदरीपाली में प्रायमरी स्कूल के पीछे भदरीपाली का भेषज कुमार डनसेना एक अन्य व्यक्ति को साथ लेकर अवैध भट्ठी लगाकर महुआ शराब बनाकर बिक्री किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल द्वारा थाने के सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर व हमराह स्टाफ के साथ मौके पर जाकर कार्रवाई किया गया। पुलिस टीम ने मौके में घेराबंदी कर आरोपी भेषज कुमार डनसेना पिता सुन्दर लाल उम्र 32 वर्ष निवासी भदरीपाली व उसके साथी आरोपी पंचराम केंवट पिता भगउ उम्र 58 वर्ष साकिन परसकोल को चुल्हा (भट्ठी) बनाकर महुआ शराब बेचते पकड़े। दोनों आरोपियों से 20 लीटर महुआ शराब कीमती रु.4000, शराब बिक्री रकम रु.1150, 04 नग छोटे-बड़े सिल्वर बर्तनों की जप्ती की गई है। आरोपियों के कृत्य पर थाना खरसिया में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में की गई शराब रेड कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर, आरक्षक प्रदीप तिवारी, सत्यनारायण सिदार, रमेश कुमार बरेठ शामिल थे।

उत्पाद बेचने का झांसा देकर ग्रामीण से ठगे 26,500 रूपए, शिकायत पर अपराध दर्ज

कोरबा | आरएनएस

घर की दीवार पर प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन बनाने और उससे संबंधित उत्पाद बेचने का झांसा देकर एक ग्रामीण से 26 हजार 500 रुपए की ठगी कर ली। चार माह बाद भी न तो उसे विज्ञापन का पैसा मिला और न ही उत्पाद। तब उसने मामले की शिकायत पुलिस के समक्ष दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

घटना पाली थाना अंतर्गत चैतमा चैकी क्षेत्र में शामिल ग्राम तेलसरा की है। यहां निवासरत राजभवन सिंह 21 फरवरी की सुबह अपने घर के पास दुकान खोलने के लिए काउंटर बनवा रहा था। इसी बीच अमरजीत सिंह सलूजा नामक व्यक्ति उसके घर पहुंचा और बताया कि राजभवन अपने घर की दीवार में नेहा एंड लवली का विज्ञापन बना ले ,तो उसे हर माह कंपनी की ओर से छह हजार रुपए प्राप्त होंगे। बेचने के लिए नेहा एंड लवली का उत्पाद भी मिलेगा। सलूजा ने उसी दिन चार कार्टून माल नेहा एंड लवली का राजभवन को दिया और 26 हजार 500 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा। राजभवन ने फोन पे के माध्यम से सलूजा के बैंक खाते में उक्त राशि भेज दी। सलूजा अपनी कार से रायपुर चला गया। उसके बाद एक-दो बार राजभवन की सलूजा से बातचीत हुई। सलूजा ने पंपलेट और पोस्टर बैनर छपाकर राजभवन के पास आने की बात कही।

आईएएस वासु जैन ने ली समय सीमा की बैठक

सारंगढ़-बिलाईगढ़

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आईएएस वासु जैन एसडीएम सारंगढ़ ने समय सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। जैन ने आनलाइन पोर्टलों में लंबित आवेदनों के निराकरण की स्थिति की विभागवार समीक्षा की एवं जनशिकायत एवं जनचौपाल में आए प्रत्येक आवेदन की जाँच कर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात् समय सीमा की बैठक में चिन्हित प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों की समीक्षा कर कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने कहा कि लंबित आवेदनों का स्थाई निराकरण सुनिश्चित करें ताकि बार-बार उन्हें आवेदन ना करना पड़े। इसके अलावा कृषि विभाग अंतर्गत रासायनिक ऊर्वरक भंडारण, वितरण एवं बचत की जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए।

जैन ने विभागों से विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी ली। आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत पूर्ववर्ती जिले से लंबित राशि के संबंध में प्रकरण का निपटान करने को कहा। वन विभाग अंतर्गत भूमि विवाद की जानकारी लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी को निराकरण करने को कहा।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिकेत साहू ने लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत मतगणना के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान ने निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अप्राप्त जानकारी लेकर कार्य समय पर पूर्ण करने को कहा। इस अवसर पर एसडीएम बिलाईगढ़ डॉ स्निग्धा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर डॉ वर्षा बंसल एवं जिले के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

गायब हुआ 1.80 करोड़ का एल्युमिनियम दिल्ली से बरामद

कोरबा | आरएनएस

गत 12 मई 2024 को दो ट्रक क्रमांक जी जे 12 बी एक्स 9094 एवं जी जे 17 एक्स एक्स 0542 में बालको से एक करोड, अस्सी लाख रूपये की कीमती एल्युमिनियम शीलपट्टियों को सिलवासा गुजरात के लिए रवाना किया गया था जो वहां नहीं पहुंची उसे ले जाने वाले ट्रक चालको द्वारा अपराधिक विश्वासघात कर किसी अन्य जगह ले जाने की रिपोर्ट पर थाना बालको में 406 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर वैधानिक कार्यवाही करते माल मुलजिम का पता तलाश किया जाते रहा जो मुखबीर की सुचना पर कि माल को दिल्ली में खपाने हेतु ले जाया जा रहा कि उक्त सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस चैहान एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा प्रतिभा मरकाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बालको अभिनवकांत सिह के नेतृत्व में बालको पुलिस टीम त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपीयों एवं मशरूका की पता तलास एवं धर पकड हेतु सुचना तंत्र लगाकर दिल्ली रवाना हुई जहां उक्त ट्रकों के माल को दूसरे ट्रक आर जे 52 जी ए 9662 एवं ट्रक क्र. एच आर 38 ए सी 8899 में पल्टी कर खपाने हेतु दिल्ली में ले जाने पर दिल्ली से मशरूका (एल्युमिनियम) किमती एक करोड अस्सी लाख रू. को दिल्ली में आरोपी नासीर पिता रफीक उम्र 23 वर्ष निवासी रानीका थाना व जिला नुहु हरियाणा के कब्जे से बरामद किया गया। बरामद समान एवं आरोपी को वापस कोरबा लाया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा गया। मामले में संलिप्त अन्य आरोपीयों का पता तलाश जारी है। मामले में अपराध क्रमांक 248-2024 धारा 406 भादवि में धारा 381, 411, 34 भादवि जोडक़र दर्ज किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बालकोनगर अभिनवकांत सिंह, सउनि धनंजय जाटवर, प्र.आर. 336 राजनारायण सिंह, आर. 40 सलामुद्दीन हवारी, आर.826 संजीव सिंह का विशेष योगदान रहा है।

सट्टा संचालन के लिए बैंक खाता खुलवाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

- सट्टा के पैसों के लेन-देन हेतु दूसरों के नाम पर खुलवाते थे बैंकों में खाते

रायपुर | आरएनएस

आम लोगों को पैसों का लालच देकर खाता खुलवाने तथा उनके खातों को सट्टा संचालन के लिए उपयोग करने के मामले में पुलिस ने खाता खुलवाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 नग मोबाईल फोन एवं एक नग पासबुक जप्त किया है।

पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को आई.पी.एल. क्रिकेट मैच 2024 के सीजन में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा खेलने/खिलाने वालों एवं इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में थाना गंज के अपराध क्रमांक 188/24 धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 एवं 420, 120बी भादवि., 66सी आई.टी.एक्ट तथा भारतीय तार अधिनियम की धारा 25 सी के प्रकरण में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 नग लैपटॉप, 55 नग मोबाईल फोन, 31 बैंक पास बुक, 05 चेक बुक एवं 34 नग ए.टी.एम. कार्ड जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है। गिरफ्तार सटोरियों से पूछताछ एवं विवेचना क्रम में बैंक खाता खुलवाने वालों के संबंध में जानकारी एकत्र करते हुए प्रकरण में सट्टा के पैसो के लेन-देन हेतु बैंक में खाता खुलवाने वाले आरोपी महेश ताण्डी, राहुल कुमार देवांगन एवं ई शंकर राव को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा दूसरे व्यक्तियों का खाता खुलवाना तथा खाते की किट को सट्टा संचालन करने वालों के पास भेजना बताने के साथ ही आरोपियों द्वारा अब तक लगभग 150 से अधिक खाता खुलवाना बताया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 06 नग मोबाईल फोन एवं 01 नग पासबुक जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

बिजली कंपनी के यार्ड में लगी आग से 50 करोड़ के नुकसान की पुष्टि, एमडी ने कहा जल्द होगी कार्यवाही

रायपुर | आरएनएस

राजधानी रायपुर के गुढिय़ारी में बिजली कंपनी के यार्ड में लगी आग की जांच पूरी हो गई है। जिसकी रिपोर्ट जांच समिति ने प्रबंधन को सौंपी है। इस घटना में लगभग 50 करोड़ रुपए के नुकसान होने की पुष्टि हुई है। इधर, बिजली कंपनी के एमडी ने कहा कि, रिपोर्ट के आधार पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।

बता दें, गुढिय़ारी के छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी के ट्रांसफार्मर गोदाम में लगी आग को लेकर पॉवर कंपनी की जांच समिति के साथ पुलिस विभाग की भी जांच चल रही थी। इस जांच में भंडार गृह के कार्यपालन यंत्री अजय कुमार गुप्ता के बयान से बड़ा खुलासा हुआ था कि, 2012 में गोदाम में पहली बार आग लगी थी। तब से लेकर लगातार बिजली के तार और घास को काटने के लिए विभाग को पत्र लिखा जाता रहा है। लेकिन इस तरफ किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया।

करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ

इसी तरह की आग 2021 में भी आग लगी थी। इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में 5 अप्रैल 2024 को बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। गोदाम के नए ट्रांसफार्मरों के साथ किसी भी सामान का बीमा भी नहीं कराया गया था। आगजनी की घटना को लेकर पॉवर कंपनी ने छह सदस्यों की जांच समिति बनाई है। यह समिति तो जांच कर ही रही है, साथ ही पुलिस की तरफ से भी जांच हो रही है। जांच के दौरान भंडार गृह के कार्यपालन यंत्री ने अपना लिखित बयान दिया है।

तारों को केबल में बदलने के लिए पत्र लिखा गया

इस बयान में इस बात का खुलासा हुआ है कि गोदाम परिसर में पहली बार पांच मई 2012 और 24 फरवरी 2021 को आग लगी थी। जब पहली बार आग लगी थी, तभी से गोदाम के प्रभारी द्वारा अधीक्षण अभियंता वृत्त एक को 24 मई 2012 को पत्र लिखकर निम्न और उच्च दाव के तारों को केबल में बदलने के लिए पत्र लिखा गया था। इसके बाद कई बार इस बारे में स्मरण पत्र भी लिखे गए, लेकिन किसी अधिकारी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 26 फरवरी 2021 के पत्र में बाउंड्रीवाल के चारों तरफ आरसीसी रोड बनाने के साथ चारों तरफ पाइप लाइन डालकर नल कनेक्शन लगाने की भी मांग की गई थी ताकि भविष्य में आग लगे तो उस पर काबू पाने में मदद मिल सके। लेकिन इस सुझाव पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

अब हो गया बड़ा नुकसान

बार-बार पत्र लिखने के बाद भी काम न होने के कारण अब बड़ा हादसा हो गया और नुकसान भी बड़ा हो गया है। आगजनी के समय गोदाम में करीब दो हजार नए और तीन हजार से ज्यादा पुराने ट्रांसफार्मर थे। ज्यादातर नए ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए हैं। इसी के साथ अन्य सामानों में 24 हजार लीटर के दो आइल टैंक और एक 12 हजार लीटर का आइल टैंक था। 39 हजार लीटर पुराना आइल भी था। और भी बहुत सा सामान था। सामानों की गणना का काम अब तक चल रहा है। सारे सामानों की गणना के बाद मालूम होगा कि कुल कितने का नुकसान हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 40 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है।